

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : What Rule are you referring to?

श्री राजनारायण : आप किस रूल की तह में परमीशन दे रहे हैं ? आप ने किस रूल की तह में सदन की इजाजत ली है ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Which Rule? That is the established practice of this House.

SHRI RAJNARAIN : That is not the established practice. हम बीमार हमारा यह काम है, हम विदेश जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बग़ावर कारण बताया जाता है, विदेश इन बग़ावत से जा रहे हैं, सदन में नहीं आ पाएंगे, इसलिए सदन से अनुपस्थित रहने की छुट्टी दे दी जाए। बिना कारण कोई कह दे कि जा रहे हैं तो सदन में क्यों आएँ। आपने इस समय गड़-बड़ कर दी, कृपा करके भविष्य में इसके लिए सचेत रहिए।

**STATEMENT BY MINISTER RE
INDO-GDR RELATIONS—contd.**

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, when you adjourned the House for lunch, I was due a point of order. Unfortunately, I could not press it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : No, no, I called you, but you were engaged with Rajnarainji.

श्री राजनारायण : यह बात जो कहीं गई बिल्कुल गलत है, हम आपस में लड़ नहीं रहे थे, हम इनके पाइन्ट आफ आर्डर के विरुद्ध नहीं थे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : I was saying that he was engaged with you. He was not attentive to me. I was not saying this to you; I was saying this to Mr. Bhupesh Gupta.

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, the hon. Minister gave a very funny answer. He said that Cabinet secrets will not be divulged by him. I never asked for Cabinet secrets to be divulged. Everybody knows it. All I said was, there was a proposal in the Government circle. I did not ask for any Cabinet secret. There was a proposal for giving full diplomatic recognition to the GDR and also for upgrading the Indian Mission in Hanoi. Now, how that proposal was mooted, how it came to be made, I have not gone into that. The hon. Minister could have easily said there was no such proposal, or he could have "Yes, there was a proposal and we revised it." The answer to such a question should not be "I am not here to divulge Cabinet secrets." I did not ask for any Cabinet secrets.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : You have made your point.

SHRI BHUPESH GUPTA : I think this kind of answer is very evasive and wrong.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE : You were asking the Minister to divulge Cabinet secrets.

SHRI GODEY MURAHARI (Uttar Pradesh) : Sir, it only means that Mr. Bhupesh Gupta's contention has been proved, that there was some discussion in the Cabinet and that the Cabinet probably rejected full diplomatic recognition to the GDR.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Mr. Mahida.

**THE 'ARMY, AIR FORCE AND
NAVAL LAW (AMENDMENT BILL),
1970**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA) : Mr. Vice-Chairman, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Army and Air Force (Disposal of Private Property) Act, 1950 and the

[Shri Narendra Singh Mahida]

Navy Act, 1957, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

While moving this non-controversial Bill, I desire to point out to the House that this is one of the measures to assist the families of the Defence forces. This Bill seeks to raise the limit from Rs. 5,000 to Rs. 10,000 for the disposal of the estates without production of a succession certificate under the Army and Air Force (Disposal of Private Property) Act, 1950 and the Navy Act, 1957.

In accordance with section 10 of the Army and Air Force (Disposal of Private Property) Act, 1950, if the value of the estate (including movable property in camp or quarters, pay and allowances and bank balance, and allowing for regimental and other debts in camp or quarters) of a deceased Army or Air Force person does not exceed Rs. 5,000, it can be made over by the prescribed person to the beneficiary without production by him or her of a succession certificate, Probate of the Will or letters of Administration or such other conclusive evidence of entitlement.

Properties worth more than Rs. 5,000 can only be disposed of by the prescribed person on production of a succession certificate. Under rule 24 of the rules made under this Act, the prescribed person in the case of deceased officers is the Joint Secretary, Ministry of Defence, and the prescribed person in the case of a deceased person other than officers is the Brigade or equivalent Commander concerned in the Army, Air Force or other officer in charge of the Command or group headquarters concerned in the Air Force, etc. Under Rule 30 the prescribed person, while determining the beneficiary, has to take into account the law or custom of succession applicable to the person whose property is under disposal and the wishes, if any, of such person in this respect. Even in the case of estates valued at not more than Rs. 5,000, if there is a dispute or doubt about the succession, it is open to the prescribed person to insist on the production of a succession certificate.

Prior to 1948 the limit for disposal of the estates without production of a succession certificate was Rs. 1,000 for Indian Army personnel and 100 for British personnel. This limit was raised to Rs. 5,000 in 1948 so far as Indian Commissioned Officers were concerned. With the enforcement of this Act *ibid* in 1950, the limit of Rs. 5,000 was made uniform for both officers and ORs, vide section 10. It has also been represented by the beneficiaries of the deceased Army personnel that obtaining of a succession certificate from a court of law is both troublesome and time-consuming and expensive too. A census of the estates worth over Rs. 5,000 of deceased Army and Air Force personnel finalized during the last few years indicates that the surplus of the estates could not be paid to the beneficiaries within a reasonable time in nearly 50 per cent of the cases, the delay being mainly due to the requirement of production of a succession certificate. It is, therefore, felt that the limit of Rs. 5,000 for payment of the estate without requiring the beneficiaries to produce a succession certificate, etc., should be raised to Rs. 10,000. The requirement of a succession certificate cannot, however, be dispensed with altogether. Section 176(b) of the Navy Act also has a provision to disburse the surplus of the estates without production of a succession certificate, Probate, letters of Administration or other conclusive evidence of title only when the value of the estates does not exceed Rs. 5,000.

The Bill was passed in the Lok Sabha on 20th May, 1970. I, therefore, request the House to consider this measure.

The question was proposed.

SHRI RAJNARAIN (Uttar Pradesh) : I move :

"That the Bill further to amend the Army and Air Force (Disposal of Private Property) Act, 1950 and the Navy Act, 1957, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following Members, namely :—

1. Shri Lokanath Misra
2. Shri Bhupesh Gupta

3. Shri Nageshwar Prasad Shahi
4. Shri Pitamber Das
5. Shri Mahavir Tyagi
6. Shri M. M. Dharia
7. Shri Shyam Dhar Misra
8. Shri Sundar Singh Bhandari
9. Shri Niren Ghosh

with instructio is to report within fifteen days."

The question was proposed. 3

P.M.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (राजस्थान) :
श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है इस विधेयक के विरोध में कहने के लिए कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय मंत्री महोदय ने जो सैनिकों को सहायता देने का इरादा किया है, उनकी सारी समस्याओं पर, उनको जिस प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, उनके संबंध में सब प्रकार से विचार करके कुछ और बातों का समावेश वे इस विधेयक में अवश्य कर सकते थे और ऐसा करने से यह विधेयक और अच्छा हो सकता था। इस संबंध में मैंने एक संशोधन दिया है और समय आयेगा तो मैं उसको प्रस्तुत करूंगा, किन्तु जो बातें मुझे देखने को मिलती हैं, उनके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। सैनिकों को जमीनें मिलती हैं, अवकाश प्राप्त सैनिकों को और सेवा में जो सैनिक होते हैं उनकी भी जमीनें होती हैं। जिन लोगों को जमीनें एलाट होती हैं, आज सबसे बड़ी कठिनाई उनके सामने यह है कि एलाटमेंट के बाद उनको उन जमीनों पर कब्जा नहीं मिलता है। अब अगर कोई सैनिक सेवा में है तो उसको मोर्चे पर जाना पड़ता है और उसको अगर प्रान्तीय सरकार ने जमीन एलाट कर दी कागजों में तो वह कागजों में ही रह जाती है। कागज पर जमीन एलाट होने के बाद उस सैनिक को जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाता। उस सैनिक को जमीन पर कब्जा मिला है या नहीं इसको कौन देखता है। वह तो अपनी यूनिट में रहता है तो उसकी जमीन पर दूसरों का कब्जा हो

जाता है और कागज में उसके नाम एलाट-मेंट हो जाने के बाद भी जमीन उस सैनिक को नहीं मिलती। इस प्रकार के कई मुकदमों अदालतों में देखने को मिलते हैं। भूतपूर्व सैनिक और सेवा में लगे सैनिक, दोनों ही प्रकार के आज इस प्रकार के मुकदमों में फंसे रहते हैं। तो क्या सरकार सैनिकों को रियायत और सहूलियत देने के लिए जो बिल ला रही है, उसमें वह इस बात का प्रा-विधान नहीं कर सकती थी कि जहां उनको कागज पर कब्जा दिया जाता है, वहां फिजिकल पजेशन दिलाने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की होगी। इस प्रकार की व्यवस्था लेकर सरकार आती तो मैं उसका समर्थन करता। आखिर हमारे सैनिक लड़ाई के दिनों में मोर्चे पर हमारे देश की रक्षा करते हैं और उनको भी कठिनाई होती है।

अब सक्सेशन सर्टिफिकेट के संबंध में माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसमें जो दिक्कत होती थी उसको बचाने के लिए हम यह विधेयक ले आये हैं। इसके साथ ही एक प्रसंग और पैदा होता है कि कई प्रान्तों में जहां जमींदारियाँ और जागीरदारियाँ थीं उनका एक्लिशन प्रान्तीय सरकारों ने कर दिया। उसके अंदर भी अगर किसी सैनिक का पिता मर गया और उसको बांड्स लेने हैं तो जब तक उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक उसको पिता के बांड्स नहीं मिल सकते। आपने प्रापर्टी बेचने और डिस्पोज आफ करने में तो सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं रखी और जो 5 हजार की लिमिट थी, उसको बढ़ा कर 10 हजार कर दिया है, लेकिन एक सैनिक जिसके पिता का देहान्त हो गया है और उसको बांड्स मिलने हैं, उसके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की। सेना के यूनिट से अपने प्रान्त के अधिकारियों को लिखते-लिखते दो-दो साल लग जाते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने में और उसे काफी परेशान होना पड़ता है जबकि आप उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

ही यह विधेयक लाये हैं। कम-से-कम अपने प्रान्त का तो मुझे अनुभव है, इस प्रकार के लोग जिन की जमींदारियां थीं, जागीरदारियां थीं और जो सेना में हैं उनको बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा है। तो सरकार जब उन को भुविधा देने के लिए आयी है और जब सरकार को मालूम है कि सर्वेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने में सैनिकों को कठिनाई होती है और यह व्यावहारिक कठिनाई है कि सर्वेशन सर्टिफिकेट के बिना किसी सैनिक को अपने पिता के बांड्स नहीं मिल सकते तो उसको इस पर भी विचार करना चाहिए। मैंने इस संबंध में एक संशोधन दिया है। आशा है कि मंत्री जी उस पर विचार करेंगे।

दूसरे जमीन का एलाटमेंट होता है, लेकिन उनको कब्जा नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त हमारे देश की सीमा पाक बार्डर से लगती है, जहां जमीन बहुत है। वहां अगर भूतपूर्व सैनिकों को बसाने की दृष्टि से हमारी सरकार विचार करे तो बड़ा काम हो सकता है। हमारे प्रान्त में सारे का सारा बार्डर जो है वहां बहुत जमीन है। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार अगर प्रयत्न करे तो काफी काम हो सकता है। राज्य सरकार ने भी भूतपूर्व सैनिकों को जमीन एलाट की है, लेकिन उसमें जो परेशानी उन लोगों को होती है उस बारे में मैंने आपसे निवेदन किया। हमारा बार्डर आज असुरक्षित है। कल भी लोक सभा में हमारे मंत्री जी ने घोषणा की कि पाक हैलीकाप्टर नहीं आया था, लेकिन उपसभापति महोदय, आपको पता है कि 1965 में जो लड़ाई हुई थी, उसमें हमारे राजस्थान का बार्डर कितना असुरक्षित था। पंजाब में हमारी फौजें भले ही लाहौर के नजदीक तक पहुंच गयी हों, लेकिन राजस्थान बार्डर का ही वह इलाका था कि जहां पाकिस्तान की फौजें हमारे देश में आ सकी थीं, जहां कोई रहता नहीं था। यही इलाका है कि जहां के लिए हम मांग करते हैं कि वहां पर भूतपूर्व सैनिकों को जमीन

दी जाय, उनको वहां बसाया जाय। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक पर विस्तार से विचार किया जाना चाहिए। राजनारायण जी का संशोधन क्या है ?

श्री राजनारायण : सेलेक्ट कमेटी का है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : तो हम उसमें इन सब बातों पर विचार कर सकेंगे। उनके संशोधन में इन बातों पर विचार किया जा सकता है। हमको इस विधेयक से कोई विरोध नहीं है और हम इसके पक्ष में मत देंगे, लेकिन उनकी और क्या-क्या आवश्यकतायें हैं, क्या-क्या परेशानियां हैं, इस सारे विषय पर हम को विचार करना चाहिए और अधूरा विचार करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, उन पर वे विचार करें और इस संबंध में उत्तर दें।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मेरा संशोधन है कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और नियमानुकूल नाम भी मैंने दे दिये हैं। अगर हमारे मित्र नेता सदन श्री के० के० शाह चाहेंगे कि उनका नाम भी इंकलूड कर लिया जाय तो उनका नाम भी इंकलूड किया जा सकता है। तो आपके दिमाग में यह बात होगी कि यह छोटा-सा विधेयक है। इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की क्या जरूरत। मगर मैं समझता हूं कि इस समय इस देश के लिए जिनके मन में मुहब्बत है, वे अगर सेना के संबंध में कोई विधेयक लायें और उसको वे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात न करें तो हमको ऐसा लगता है कि उनकी मुहब्बत कारगर रूप से अपनी जगह पर नहीं है।

देखा जाय, जब यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है और सदन के सम्मानित सदस्य इस पर विचार कर रहे हैं, तो हम उसका अच्छी तरह से विचार क्यों न करें। आज हमारी सेना के लोगों को जो दिक्कतें और जो बाधाएं आती हैं उन सबको निर्मूल करने के लिए हम कदम क्यों न उठायें। अभी-अभी दो दिन हुए, समाचार

पत्रों में मुझे पढ़ने को मिला कि यह सरकार नागा रेजीमेंट बनाने जा रही है। मैं समझ नहीं पाता कि नागा रेजीमेंट का मतलब क्या होगा? क्या उसमें सारे नागा लोग ही भरती होंगे? आज मैं जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ राजपूत रेजीमेंट है या नहीं, मराठी रेजीमेंट है या नहीं, आपके यहाँ सिख और जाट रेजीमेंट है या नहीं। तो अगर सिख, जाट और मराठा रेजीमेंट है तो फिर यह सरकार कैसे कहती है कि हम क्लासलैस और कास्टनैस सोसाइटी बनाना चाहते हैं? आप खुद यह गौर करें कि हमारी जो सेना है, जिसको हम तमाम राष्ट्र की सुरक्षा का भार सुपुर्द किये हुए हैं उसी को हम राजपूत में, जाट में, मराठा में, सिख में और नागाओं में बांट रहे हैं, यानी यह सरकार शीर्षासन कर रही है। मैं चाहता हूँ कि यह सरकार शीर्षासन न करे, यह पैर के बल चले, मगर अब भी, जब 20 साल इस संविधान को लागू हुए हो चुके हैं, इस सरकार को अक्ल नहीं आयी। मैं जानना चाहता हूँ कि जातपात के आधार पर यह सरकार फौज का निर्माण कब तक चलने देगी? मैं चाहता हूँ कि आज जब संशोधन विधेयक पर यहाँ चर्चा हो तो सरकार इस बात को समझ ले कि अब इस देश में जातपात की बुनियाद पर सेना का निर्माण नहीं चल सकता। जितनी जल्दी, जितने कम समय में हम इसको खत्म करें उतना ही अच्छा है और मुझे मालूम है कि हमारे बहुत से लोग आज इंडियनाइजेशन शब्द का मजाक करते हैं। मैंने आपके द्वारा इस सदन में कह दिया है कि इंडियनाइजेशन शब्द का प्रयोग हिन्दू मुसलमानों को बांटने के लिए जो करता है वह गुन्बा है, बुद्धिहीन है, देशद्रोही है और राष्ट्रीय एकता को भंग करने वाला है। जो इंडियनाइजेशन शब्द का प्रयोग हिन्दू और मुसलमानों के अलगाव के लिए करता है, हिन्दू और मुसलमानों को अलग करने के लिए करता है या जो कहता है कि हिन्दुओं का इंडियनाइजेशन हो या मुसलमानों का इंडियनाइजेशन हो उसे मैं हरगिज नहीं

32RS/70

मानता, मगर जब श्री जवाहरलाल नेहरू कहे कि 'इंडियन आर्मी मस्ट बी इंडियनाइज्ड' भारतीय सेना का भारतीयकरण होना चाहिए, तो उन्होंने भी इंडियनाइजेशन शब्द का प्रयोग किया। तो इंडियनाइजेशन शब्द अपने आप में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जो आपत्तिजनक हो। भारत के प्रति ममता, भारत के प्रति अपनत्व, भारत अपना है, अगर इस अर्थ में भारतीयकरण शब्द का प्रयोग हो तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मगर आज यह सरकार इस ढंग की सेना रख कर भारत की राष्ट्रीय एकता को भंग कर रही है। यह सरकार कहती है कि राजपूत रेजीमेंट होगा, जाट रेजीमेंट होगा, मराठा रेजीमेंट होगा, सिख रेजीमेंट होगा, नागा रेजीमेंट होगा। क्यों भाई, यह राजपूत रेजीमेंट के मायने क्या? के० के० साहब जी बतलायें?

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) :
नहीं आप ही फरमाइये।

श्री राजनारायण : इतना बड़ा सवाल मैंने प्रस्तुत कर दिया और उस पर के० के० साहब की अपनी फाइल ही चल रही है। उनके माथे पर शिकन नहीं आयी कि कुछ सोचें कि कितना बड़ा पाप यह सरकार कर रही है, कितना बड़ा घोर अपराध यह सरकार कर रही है। जहाँ हम अपनी फौज में, अपनी सेना में जातपात के नाम पर सेना का निर्माण करेंगे और वहाँ हम कहेंगे कि देश में राष्ट्रीय एकता हो, तो राष्ट्रीय एकता के मायने क्या? अब वह दिन आने वाला है कि जब हिन्दू रेजीमेंट और मुसलमान रेजीमेंट भी होगा। नागा रेजीमेंट के मायने क्या? मान लीजिए कि सरकार कह सकती है कि राजपूत रेजीमेंट, सिख रेजीमेंट आदि तो पहले से चली आ रही हैं, लेकिन यह नागा रेजीमेंट तो सरकार खुद बना रही है। तो नागा रेजीमेंट के मायने क्या? हम जब यह विधेयक प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव लाये थे तो हमारे कई मित्र यहाँ थे, कहने लगे कि क्या छोटा सा

[श्री राजनारायण]

विधेयक है। क्यों फिर इस पर चर्चा ही हो ? आज हमारी सेना के अंदर क्या नीति है ? आज उनमें तदात्म्य नहीं है, उनमें एक रस नहीं है, वह समझते हैं कि यह सरकार हम लोगों को अलग-अलग जातपात में बांट कर रखना चाहती है। एक दिन आ सकता है जब कि नागा रेजीमेंट, राजपूत रेजीमेंट के खिलाफ खड़ा हो, राजपूत रेजीमेंट के खिलाफ जाट रेजीमेंट खड़ी हो और जाट रेजीमेंट, सिख रेजीमेंट के खिलाफ खड़ी हो जायें। जब यह बंटवारा है तो इस बंटवारे मात्र से ही हमारी सेना की एक रूपता यह सरकार खुद भंग कर रही है। इसलिए इस तरह से ही राष्ट्रीय सुरक्षा की शक्ति को कमजोर करने का अपराधी इस सरकार को पाता है।

अब इतने दिनों के बाद एक विधेयक आया कि 5,000 की जगह 10,000 कर दिया जाय। पहले 1,000 था। सन् 1950 में 5,000 कर दिया गया, अब 1970 में 10,000 कर दिया गया कि मूवेबिल प्रापर्टी दस हजार की हो तो बिना उत्तराधिकार का सर्टिफिकेट दिये हुए प्रेसक्राइड्ड अधारिटी दे सकती है। मंत्री महोदय ने यह भी नहीं बताया कि 5,000 को 10,000 क्यों कर दिया। उन्होंने दिमाग में कोई सपना आया था उन को कोई इन्तहास हुआ, क्यों 5 को 10 कर दिया गया। मैं उनका भाषण खूब ध्यान से सुन रहा था और वह कहें कि कीमतें बढ़ गयी हैं। अब तो सामूली सामूली जगहों का दाम 5 हजार हो जाता है तब हम 5 को 10 कर रहे हैं, जब कि दाम नीम्ना हो गया है। 5 को अगर 20 कर देते तो बात समझ में आ सकती थी। आप सोचें कि 10,000 की इन्मूवेबिल प्रापर्टी क्या होगी ? अगर वह नुबतेनजर है सरकार का कि अब चीजों की कीमतें बढ़ गयी हैं, इसलिए 5 हजार की रकम जो पहले थी अब वह नाकाफी है तो मैं कहना चाहता हूँ कि 5 हजार को 10 हजार कर देना भी नाकाफी है। उसको चार, पांच गुना तो बढ़ाया ही जाना चाहिए था। लेकिन यह सरकार वह नहीं कर रही है।

आज मेरे दिमाग में यह बात आयी कि हमारे देश की सुरक्षा में जो जवान लगे हुए हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए विधेयक आ रहा है, जो बाह्य आक्रमण से रक्षा करते हैं, उनका हमको ध्यान है तो आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में जो लोग लगे हैं, उनका समावेश भी इसमें होना चाहिए। तो जल सेना, वायु सेना, और थल सेना तीनों के बारे में यहाँ बात आयें, तो उनके साथ जो सेना हमको आंतरिक सुरक्षा देती है यानी पुलिस, मैं चाहता हूँ कि उस पुलिस को भी सेना के मायने में लिया जाय। हमने अपने देश का भ्रमण किया है, अच्छी तरह से किया है। आप चले जाइए मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश का एक चौकीदार आज 20 रुपया पाने लगा है और आज उत्तर प्रदेश का चौकीदार 10 रुपया पाता है। पहले उसको 2 रुपया 14 आना मिलता था, वह बढ़ कर 5 रुपये हुआ और अब सरकार ने उसे 10 रुपया कर दिया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए पुलिस का एक पैटर्न क्यों न हो ? सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये जो सेना का पैटर्न है, उसी तरह से मेरा कहना है कि सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये पुलिस का भी पैटर्न हो और पुलिस में इतनी खाई न हो; क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा मिली हुई है, रीवा मध्य प्रदेश में है और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है और रीवा का चौकीदार 26 रुपया पाये और मिर्जापुर में चौकीदार को 10 रुपया मिले। मेरा कहना है कि इस देश के अन्दर की सुरक्षा ठीक नहीं रहेगी, अगर इस तरह की असंगतियाँ जो हैं उनको दूर नहीं किया जायगा, तो बाहरी आक्रमण के समय अन्दर की रक्षा ठीक तरह नहीं हो पायेगी। इसलिये मेरा कहना है कि हमारी जो पुलिस अकर्मण्य है, रिपब्लिकन है और छ्रष्ट होती चली जा रही है इसका कारण क्या है ? क्योंकि अंग्रेजों के दिमाग में एक नक्शा था, अंग्रेज समझते थे कि चौकीदार को कम से कम दो ताकि वह रिपब्लिकेन पर मजबूर हो और इसकी नैतिकता

का ह्लास हो जाय । किसी भी देश को कमजोर बनाने के लिए एक शत्रु, एक विदेशी ताकत, जो पहला काम करती है वह यह कि उसकी नैतिकता का ह्लास करती है, उसकी मारै-लिटी को खत्म करती है; क्योंकि जब तक मारै-लिटी कायम रहती है, आदर्शवादिता कायम रहती है, ईमानदारी कायम रहती है, तब तक कोई व्यक्ति या समाज अन्याय के सामने झुकता नहीं, इसलिये अंग्रेजों ने भारत की पुलिस और चौकीदारों को कम से कम तनख्वाह दे कर के उनके लिये अपने जीवन को फालन करने की बात की ताकि वह जनता से ज्यादा से ज्यादा घूस लें। (Time bell rings) अभी आप घंटी न बजाइये ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : इस बिल के लिये पूरा एक घंटा ही है ।

श्री राजनारायण : यह सब समय कौन कब बैठ कर तय करता है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : बिजनेस कमेटी ने तय किया है, उसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं ।

श्री राजनारायण : वह हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है । मैंने सर्वदा कहा है कि बिजनेस कमेटी नहीं है, यह बिजनेस कमेटी गिलेटिन कमेटी है, भाषण-काट-कमेटी है, यह संसद् सदस्यों की मर्यादा और उनके अधिकारों का हनन करने वाली है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI
AKBAR ALI KHAN) : I am bound by it.

श्री राजनारायण : आप बाउंड हैं मैं नहीं हूँ । मैं हमेशा कहता हूँ कि बिजनेस कमेटी के प्रस्ताव को फिर से विचार करने के लिये भेजा जाय ।

श्रीमन्, इतने सवाल देश में उठे हुये हैं, आप जा कर देखिये पश्चिमी बंगाल को, पश्चिमी बंगाल की पुलिस की हालत क्या

है ? जब इस सरकार ने फौज के बारे में यह चीज लाई है तो फिर पुलिस को भी इसमें क्यों नहीं लाती । मैं कहना चाहता हूँ कि पश्चिमी बंगाल में आज राष्ट्रपति का शासन है और राष्ट्रपति के शासन में आज भी वहाँ अनर्थ हो रहा है । अभी-अभी, श्रीमन्, जब मैं चल रहा था तो मेरे पास यह तार आया । यह तार है :

"CPI(M) ASSAULTED FOUR SSP WORKERS AT NIMCHA COLLIERY POLICE STATION RANIGANJ ON 28th JULY 1970 STOP REMOVED SSP FLAG FORCIBLY STOP RANIGANJ POLICE EMBOLDENED SITUATION BY ARRESTING CPI(M) CULPRITS AND RELEASING THEM ON SPOT (STOP)".

वहीं पकड़ा, वहीं छोड़ दिया । आज भी पुलिस अपने को एक राजनैतिक दल, सी० पी० आई० एम० का एजेंट मान रही है । आगे इस तार में यह है :

"CPI(M) AGAIN ON 29th JULY 1970 ABOUT ONE THOUSAND IN NUMBER ATTACKED WITH ARMS LETHAL WEAPONS AND BOMBS ON SMALL GROUP OF SSP WORKERS STOP RANIGANJ POLICE FAVOURING ACTION AND NOT TAKING PREVENTIVE STEPS IN TIME CAUSED MELEE ON 29th JULY 1970 STOP INNOCENT SSP LEADERS WORKERS ARRESTED BEING HARASSED STOP SSP OFFICE RAIDED LAST MIDNIGHT STOP SSP SUPPORTERS IMPLICATED IN FALSE CASES STOP IMMEDIATE INTERVENTION REQUESTED STOP."*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI
AKBAR ALI KHAN) : It has nothing to do with the Bill.

श्री राजनारायण : मैं पूछना चाहता हूँ कि नागा रेजीमेंट इसका मुकाबिला करेगी, जाट रेजीमेंट इसका मुकाबिला करेगी, राजपूत रेजीमेंट इसका मुकाबिला करेगी

[श्री राजनारायण]

या श्रीमती फीरोज गांधी रेजीमेंट इसका मुकाबिला करेगी, ? कौन करेगा, मैं पूछना चाहता हूँ। आज इस मुल्क के सामने ये बड़े-बड़े सवाल उठ रहे हैं। हमारे श्री टी० एन० शुक्ला जो कि देवरिया जिले के रहने वाले हैं, मजदूर नेता हैं, वह रीजनल लेबर कमिश्नर का जो केन्द्र का कार्यालय है, उसमें रहे और पुलिस ने, रानीगंज के एस० आई० ने श्री टी० एन० शुक्ला को फंसाया है, उसको फंसा रहे हैं और एक झूठा मुकदमा चला दिया है, मर्डर केस में फांस दिया, ताकि वहाँ के मजदूरों की क्रान्ति और मजदूरों का आन्दोलन सही तरीके से न चल सके। देश की सुरक्षा कैसे होगी ? मैं आपके द्वारा मंत्री साहब हुजूर से पूछना चाहता हूँ कि मंत्री साहब जब आपके दिमाग में अपनी पलटन के लोगों को कुछ सहूलियत देने की बात आई तो उसी के साथ-साथ पुलिस प्रशासन पर भी ध्यान क्यों नहीं गया ? पुलिस प्रशासन पर ध्यान जाना चाहिये था। आज हमारे देश की स्थिति, देश के अन्दर की स्थिति बहुत ही दयनीय होती चली जाती है, पुलिस खड़ी तमाशा देखती है और लोग हजारों बम्ब लिये चले जा रहे हैं और वह अटक कर रहे हैं, शंका फाइ रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि एस० एस० पी० मुर्दों की जमात है ? 6 अप्रैल को जो कल पार्लियामेंट की नाक के नीचे बुरी तरह से लाठी और अश्रु गैस का प्रहार बर्दाश्त कर चुका है, वह मुर्दों की जमात नहीं है और उस समय मुर्दों की जमात होगी जब कि एस० एस० पी० और पी० एस० पी० मिलने जा रही है। आज तमाशा तो देखिये, यह क्या मजाक है, इस सरकार की सहमती से उसकी पुलिस के सामने संसोपा के पलैग को हटाया गया। वहाँ पश्चिमी बंगाल में आज प्रसिडेंट शासन लागू है। श्री टी० एन० शुक्ला के साथ पुलिस ने जो किया वह देखिये। कहा गया कि जांच कराइये, बिना जांच कराये मुकदमे में न फंसाओ, वह लेबर कमिश्नर के पास था, रीजनल कांसिलियेशन कमेटी के पास गया

हुआ था, वह उनके साथ रहा, फिर भी उसको मुकदमे में फंसा दिया और फिर आप कहें कि मुकदमा लड़ कर देख लें, अगर उसमें नहीं होगा तो छोड़ दिया जायगा। तो बड़े पैमाने पर साजिश हो रही है और इसका मुकाबिला करना होगा। (Time-bell rings) मुकाबिला होगा कैसे ? श्रीमन्, पश्चिमी बंगाल में सी० पी० आई० एम० जानबूझ कर बंगाली और नान-बंगाली का झगड़ा खड़ा कर रही है और जो वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, वह सी० पी० आई० एम० के एजेंट बनते हैं और जो नान-बंगाली पोलिटिकल लीडर वहाँ पर हैं आज उनको हिरास कर रहे हैं। कहा गया राजपूत रेजीमेंट, जाट रेजीमेंट, नागा रेजीमेंट, मराठा रेजिमेंट, तो फौज में जो इतने खाने बना कर के सरकार ने रख दिये हैं, उसकी वजह से प्रन्तीयता को वहाँ से दूर नहीं कर पाते। सेना में राजपूत, जाट, सिख चलेगा तो फिर पुलिस में और जगह भी बंगाली और नान-बंगाली चलेगा। आज देखिये कि बम्बई में क्या होता है। जिनको भय्या लोग कहा जाता है उनको निकालने के लिये तैयार हैं, जब तक बम्बई बनानी होगी तब तक भय्या लोग और जब बम्बई बना दी तो भय्या लोग बाहर।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : खत्म कीजिये।

श्री राजनारायण : मैं खत्म कर रहा हूँ। इसलिये मैं आपसे सफाई के साथ कहना चाहता हूँ कि 10 हजार की रकम नाकाफी है, इस रकम को अगर सरकार बढ़ाना चाहती है तो इसको 20 हजार तक ले जाय, 10 हजार बिलकुल नाकाफी है, चारगुना से कम तो होना ही नहीं चाहिये और उसी के साथ-साथ हमारे इस साधु संशोधन को यह सरकार मान ले कि इसको प्रवर समिति में ले जाय। प्रवर समिति से 15 दिन तक रिपोर्ट आ जायगी। अगर आज यह विधेयक पास नहीं हो जायगा—आप अच्छी तरह से जनतंत्र

जानकार— तो तो क्या हमारी धरती धंस जायगी, क्या यह आकाश फट जायगा, अगर आज यह विधेयक पास न हो और कानून की शक्ति में न आये तो नुकसान क्या हो जायगा ? मुल्क का क्या नुकसान है ? इसलिये जो एक साधु, नन्हा सा संशोधन प्रवर समिति में भेजने का इस बन्दे ने पेश किया है, उस हमारे संशोधन को साधु बुद्धि ने सरकार स्वीकार करे और उसको स्वीकार करके इसको प्रवर समिति में ले जाय ताकि और ब्यारे से इन बातों को हम कह सकें । आज हमारी सेना और पुलिस दोनों ही राष्ट्र की सुरक्षा के लिये हैं, आन्तरिक सुरक्षा के कामों को पुलिस देखती है, और उसकी ओर भी हमें सेना की भांति ही विचार करना है । ऐसा नहीं हो कि पुलिस की वजह से मुल्क के अन्दर भ्रष्टाचार की, रिश्वतखोरी की भावना जागे । भ्रष्टाचारिता की भावना नहीं जागे । इसलिये मिलिटरी भी अपनी जगह है और पुलिस भी अपनी जगह है और दोनों के लिये एक सीमा हो । यों हम आज फौज के बारे में बहुत सी बातें कहना चाहते हैं । सरकार को पता नहीं कि फौज के भीतर-भीतर कहां-कहां खोखला है, फौज में कितना बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ गया है । मुझ को लोग पत्र लिखते हैं ।

(Time bell rings)

श्रीमन्, हम भी सम्बन्धित व्यक्तियों को उसके बारे में लिखते रहते हैं । और हमारी तो मुसीबत है; क्योंकि हम यहां राज्य सभा के काम में लगे हैं, इसके बाद जायेंगे तो चिट्ठी पत्री देखेंगे, इसमें आठ बज जायेंगे । फिर उसके बाद हम खाली हो जाते हैं मंत्रियों को फोन करने के लिए । मेरी मुसीबत यह है 12 बजे तक कोई मंत्री अपने घर पर मिलता नहीं । जब पूछो जवाब मिलता है कि डिनर खाने गये हैं, जब श्री एल० एन० मिश्रा को पूछा तो यही कहा जाता है कि डिनर खाने गये हैं, भगवत झा आजाद को पूछो तो यही कहा जाता है कि डिनर खाने गये हैं, के० सी० पंत डिनर खाने गया है । मंत्रियों का डिनर

बंद करवाइये, क्योंकि डिनर खाने के बाद मंत्रियों की अपने प्रश्नों की तैयारी नहीं होती । मंत्री लोग आकर ऊलजलूल उत्तर दे देते हैं, अनावश्यक सप्लीमेन्टरीज हो जाती हैं और सदन का समय नष्ट होता है । आप भी इरिटेड होते हैं, एनाइड होते हैं हमसे जो विल्कुल साधु व्यक्ति हैं । हमसे तो वही रंजीदा होता है जिसको खुद अपने भविष्य से रंज है । जो इसलिये मैं कहना चाहता हूं, आपके अंदर जो सद्बुद्धि है, उस सद्बुद्धि का प्रभाव कुछ डालें और सरकार को मजबूर करें कि हमारे इस साधु संशोधन को मानें । प्रवर समिति में भेजे जाने का जो हमारा प्रस्ताव है, उसमें लिखे नामों को मैं पढ़ देता हूं

1. श्री लोकनाथ मिश्र
2. श्री भूपेश गुप्त
3. श्री नागेश्वर प्रसाद शाही
4. श्री पीताम्बर दास
5. श्री महावीर त्यागी
6. श्री मोहन धारिया
7. श्री एस० डी० मिश्र
8. श्री सुन्दर सिंह भंडारी
9. श्री नीरेल घोष ।

इसमें हम दो नाम और बढ़ा देना चाहते हैं :

10. श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी
11. श्री चित्त बामु ।

SHRI B. T. KEMPARAJ (Mysore) : Mr. Vice-Chairman, this amending Bill seeks to enhance the amount from Rs. 5,000 to Rs. 10,000 to provide that chance for the military personnel to get their properties disposed of. These military personnel who are considered to be on active service find it very hard to appear before the court or to have the chance of getting their properties disposed of when they are in active service. This ought to have been done earlier and as has been suggested already by one of our hon. friends the amount ought to have been increase* at least to Rs. 25,000 especially in view of the changed circumstances at present.

[Shri B. T. Kemparaj]

Sir, though the Government has come up with this amendment of enhancing the amount from Rs. 5,000 to Rs. 10,000 for the disposal of their property, it has not given any thought to the improvement or progress of these personnel from jawan to the highest officer and to their salary and other amenities. The country has been facing a Severe change and wherever law and order has to be enforced strictly, wherever the very peaceful conditions have been threatened, the services of the military are indented to bring back normalcy but the Government has not thought what concessions are necessary to be given and how their conditions of service could be improved. Whatever legacy has been left by the British we are simply following; we are having the same cadres, the same distinctions, the same divisions and we are strictly adhering to these things without ever thinking of bringing about any change or orientation in their cadres and service conditions. Sir, this is a point which the Government ought to have considered instead of bringing these small amendments. Of course disposal of their property is a vital factor but has the Government ever thought of improving their conditions or increasing their salaries or providing more amenities to them? Whenever there is any disturbance anywhere they are indented upon and asked to put down the disturbances. Therefore should it not be the responsibility of the Government, when their services are required at any time unexpectedly whether within the country locally or for fighting with other countries, to consider how their conditions could be improved and how more facilities could be provided for them? Another point, I want to urge. It is very unfortunate that the applicants for commission have not been given the privilege of reservation in the case of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is well established fact that in the last two world wars the Scheduled Caste soldiers as jawans had fought well and they had established that they are also equal in fighting compared to other nationalities of the world. Therefore, why did not the Government

think it necessary to extend the reservation, which has been made in the Constitution, to the military, i.e., the Army, Navy and the Air Force? Whenever this question is raised the Government says that no suitable candidate is found. This is a very burning problem of the day and even after twenty-three years of independence if the Government says that the Scheduled Caste people are the only people who are not suitable for these vacancies, that they are not able to understand what the changing circumstances are and they cannot compete with others, it has to be considered by most of us in the country that the Government is not discharging its duty as far as the rights and privileges, which ought to have been given to them, of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned. What is the measuring rod when you say that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not found suitable for such vacancies, to discharge their duties in responsible posts in the military, Air Force, etc. They say that a highly technical procedure will be adopted and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not suitable. What is the highly technical skill that is expected of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people or candidate who seeks entry into the Service. That has not been definitely made out by any of the officers of the Government. When such is the state of affairs, what is the use of hoodwinking or misleading the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country saying that the Government has been giving its best attention to the betterment and progress of these people. This is the point which I want to urge in particular about these vacancies. How many Scheduled Caste people have filled up the vacancies so far in the gazetted rank in the military? I refer to military personnel appointed as commissioned officers in the several cadres of the military service. Unfortunately, if you know the figure it is heart-burning and heartrending. It is none so far, if I am correct. I am subject to correction. If I am not wrong, not sufficient officers in the commissioned grade have been taken for admission even in the military schools and colleges. Therefore, it is high time the

Government should make it a point to see that deserving and qualified candidates, those who have got the capacity and ability to get entry into military colleges and institutions, are entertained, so that at least after a lapse of twenty-three years they get a chance of becoming commissioned officers in the military.

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Mr. Vice-Chairman, I welcome the various suggestions made by hon. Members. This is a very limited Bill. The idea is that movable property and money belonging to persons subject to the Acts may be delivered or paid by the prescribed authority to persons applying to be entitled to such property and money without requiring the production of any probate or succession certificate or other evidence or title. This is to assist the Defence Forces to get their properties as quickly as possible. A suggestion has been made that his amount should be increased, well, Sir, if circumstances permit, we shall certainly look into this and, if necessary, increase the amount as and when required.

श्री राजनारायण : कैसे ?

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : We will come before the House.

Shri Mathur in his speech referred to land cases of the Defence Services. This is a very interesting point. We have various Boards of ex-servicemen or present servicemen in the States concerned. We are urging the States to take more interest in the legitimate difficulties of the service people. I appreciate that while soldiers and jawans are on the front, they are naturally disturbed about their lands and other possessions. That should be speedily attended to. In fact there is lethargy among the civil authorities to neglect such problems, and the moment I take up this question I shall see that the jawans who are in the front, their immediately attended to and they are relieved of their anxiety.

The hon. Member, Shri Rajnarain, has referred about the Naga regiment and other Defence regiments like Rajput, Maratha, Sikh and Gurkha. I may for his information say that they are in name only Rajput, Maratha, Gurkha, etc. In these regiments there are persons of different castes and communities.

श्री राजनारायण : ये नाम रखे क्यों और इन्हें हटाने में क्या दिक्कत है ?

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Formerly during the British regime these were formed for those particular communities. Now that idea is completely changed. They have a history of the last hundred years. They are proud of their valour, decorations and flag. It will not be proper for us to change that because the regiments are extremely proud of their colours. I can assure the hon. Member that there is nothing like community in the Army.

श्री राजनारायण : नाम रखना इटर्नलफ़ो ।

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : I can also say that the Indian Army is essentially Indian. Whatever the past record of pre-Independence days, it is completely gone. The Armed Forces are extremely sound and they are completely Indian. We should not cast any aspersion on their valour or feelings of patriotism.

Sir, there was also a reference about Defence Service that they do not encourage the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I may for the information of the hon. Member say that the Defence Services consist of all. They have no religion. They have no provincialism. They are not subject to pressure from political parties. The only sound thing today in India is that our Defence Forces are above all these things. We should be extremely proud of them and, if need be, they are there to defend our country. I thank the Members for various suggestions...

श्री राजनारायण : पुलिस वाले जब मिलिटरी को अपनी मदद के लिये बुलाते हैं उस के बारे में आप का क्या कहना है ।

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA: He has referred to the police pattern. That is a subject out of my purview. That concerns the Home Ministry. If the hon. Member so desires, I shall certainly pass it on to the Home Minister or I shall write to the Home Minister.

Another amendment of Shri Mathur seems unnecessary because under section 3(1) (a) all the movable property belonging to the deceased or deserted j in camp or quarters is secured by the Commanding Officer and movable property will include bonds, referred to in the amendment proposed by the Member. Therefore, under section 10 the property deliverable will include the bonds as well. I therefore do not think it necessary to accept the amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : 'Movable' includes bonds ?

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Bonds are movable properties.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will he enquire from the State Government? बोर्ड्स के बारे में मालूम करेंगे ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : There is no difficulty. He will look into that. I have asked him.

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Bonds include movable property. Sir, I move that the Bill be taken into consideration.

SHRI B. T. KEMPARAJ : What about any point about considering reservations of vacancies ? Has it been followed ? As in other Departments, is it to be applied to the military ?

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : To the hon. Member's

suggestion, I have to reply that the Defence Services consist of all communities; the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are also covered. They are most welcome whenever there is recruitment.

SHRI B. T. KEMPARAJ : I have already suggested...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Mr. Rajnarain, are you pressing your amendment ?

श्री राजनारायण : पहले आप हम से पूछिये ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : उन्होंने लीडर से पूछा था और आप ने जवाब नहीं दिया ।

श्री राजनारायण : यह तो आप की ड्यूटी है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : अब आप प्रेस कर रहे हैं या नहीं ।

श्री राजनारायण : जब आप कह रहे हैं तो हम आप की बात मानते हैं । हमने मंत्री जी को यह पाया कि वे टू दि प्वाइन्ट बोले और इधर उधर बहके नहीं, इसलिए हम इस समय प्रेस नहीं करते हैं ।

'The amendment was, by leave, with' drawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : The question is :

"The Bill further to amend the Army and Air Force (Disposal of Private Property) Act, 1950 and the Navy Act, 1957, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

*For text of the amendment, vide col. 188-89 *supra*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Let us now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : There is a new Clause 2A by Shri Jagdish Prasad Ma-thur. He thought that bond does not come under the category of movable property. As the Minister has explained it, are you moving your amendment ?

SHRI JAGDISH PRASAD MA-THUR : I am not moving.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Sir I move :

"That the Bill be passed".

The question was proposed.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal) : It has been said by Shri Rajnarain about the recent decision of the Government in connection with the formation of the Naga Regiment. So far as the Government's reply is concerned, I have got no quarrel with them. In this connection, I also feel that a regiment should be established in the name of Naga Regiment so that the Naga people who are our brothers should also have a sense of belonging and oneness...

SHRI RAJNARAIN : A sense of participation.

SHRI CHITTA BASU : With us as a whole. It is to be remembered—and I want to draw the attention of the hon. Minister—that some time ago the question was raised about the formation of a Bengal Regiment so that the Bengalis can be recruited and they may have also a place in the Army as such. At that time it was suggested that no Regiment could be formed and only the existing regiments should remain. Sir, I am not opposed to the formation of a Naga Regiment, as I said earlier. It is quite good. I congratulate the Government.

But the Government has revised its earlier decision with regard to the formation of any new Regiments. But the demand for the formation of the Bengal Regiment had been rejected on the ground that no Regiment will be created. Now that the Government has decided to have the new Regiment of the Nagas, what stands in the way of having a Bengal Regiment because that is also the demand of the people of Bengal so that they may also feel that they can also contribute towards the defence of the country ? By that we may also feel oneness with the nation as a whole. I feel the reply which has been given by the hon'ble Minister has not met this particular point, and I feel unsatisfied. I think he would concede this just demand and start a new Regiment, called the Bengal Regiment.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa) : Sir, I listened to the arguments given by the hon'ble Minister in favour of retention of names according to the different communities. I was not very much satisfied with the explanation given by him. Now that there is time for the hon'ble Minister to revise his statement, I would still proceed with him to revise his impressions about it. My point is that if we want real national integration we must also arrange our Army accordingly. If you continue the names like the Gurkha Regiment, the Madras Regiment, the Rajput Regiment and so on it gives a direct or indirect suggestion of different units in the country, may be community-wise, maybe State-wise. Just now, Sir, you have heard argument in favour of the creation of a Bengal Regiment. Then you will have a West Bengal Regiment, and then probably a Dinajpur Regiment and so many others. Therefore, if you really aim at national integration there should not be any direct or indirect suggestion which gives an impression about different communities, different States or different castes, so on and so forth. What we should have is Regiment No. 1, Regiment No. 2 and so on. It was not proper for the hon'ble Minister to say that the Gurkha Regiment or some such Regiment has a hundred years of their glorious functioning. The fact that they had such a glorious functioning would naturally be inherited by the Regiment.

[Shri Lokanath Misra]

which gets the Number in accordance with the Regiment that it used to be called. What is wrong there ? Supposing the Gorkha Regiment tomorrow becomes Regiment No. 20 what would be wrong in Regiment No. 20 inheriting all the glories of the Gorkha Regiment ? This is absolutely no argument in favour of retention of this communal bias in the Army. Therefore, I would again plead that the hon'ble Minister should revise his opinion and impression about the matter, and let him also contribute something to this national integration.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, हमारा थोड़ा सा बोझ श्री लोकनाथ जी ने हल्का कर दिया है। मंत्री जी के तर्क से मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। मंत्री जी गुनाह भी कर रहे हैं, बेलज्जत भी हैं। कोई गुनाह करे कुछ मजा भी आए लेकिन यह बेमजा गुनाह है। कहते हैं कि हम राजपूत शब्द रखें लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसमें राजपूत ही रहें।

संसद-कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) : आप कौन हैं ?

श्री राजनारायण : हम को इसी में गुस्सा था जाता है। सदन में ऐसे पागल लोग क्यों हैं ? मैंने अनेक बार कहा है कि मैं इनसान हूँ, न मैं हिन्दू हूँ, न मुसलमान हूँ, न मैं राजपूत हूँ, फिर भी यह आदमी पूछता है। मैं फिर कहता हूँ कि उसी बौद्धिक परतंत्रता की बेड़ी में मंत्री महोदय जकड़े हैं। सौ साल पहले अंग्रेजों ने यह बनाया, एक परम्परा चल गई, अब उस नाम का रिटेंशन करना सरकार पसन्द करती है। कितनी गलत बात है, कितना बेसलेस तर्क है। बालू की भीति पर यह तर्क खड़ा हुआ है।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : हमें पसन्द नहीं है, फिर भी राजनारायण परम्परा यहां चल रही है।

श्री राजनारायण : राजनारायण परम्परा अगर चल जाय तो यह देश ही बन जाय, मगर राजनारायण परम्परा चल नहीं रही है। यह तो राजनारायण की कोई इधर-उधर की बात पकड़ कर कोई कहें मगर राजनारायण की परम्परा सही में चले तब के० के० शाह साहब आप कबूलोगे कि देश बन जायगा। नेता सदन ने कहा है इसलिए हमें बताना पड़ेगा कि राजनारायण की परम्परा क्या है। राजनारायण की परम्परा है कि विदेशी अंग्रेजी साम्राज्यशाही को ध्वस्त करो और जब कांग्रेस में चार-आना मेम्बर-झांडु लगाने, दरी बिछाने के लिए बनते थे राजनारायण कांग्रेस में थे लेकिन जब कांग्रेस के हाथ में राज्य-लक्ष्मी आई तो हमने उस सड़ी हुई कांग्रेस को ठोकर मारी। हमारी परम्परा है त्याग, हमारी परम्परा है कष्ट, सहिष्णुता, हमारी परम्परा है बलिदान, हमारी परम्परा है अपने जीवन को उत्सर्ग करना समाज-हित। के० के० शाह साहब ने कह दिया राजनारायण-परम्परा। राजनारायण-परम्परा 'खाओ-पियो-मोज-करो' नहीं है। राजनारायण परम्परा पर के० के० शाह साहब चलना चाहते हैं तो अभी फौरन मंत्रि-पद का त्याग करे वरना राजनारायण परम्परा पर चल नहीं पाएंगे।

(Time bell rings)

मैं आप से सुरक्षा चाहता हूँ। दूसरे लोग अगर बीच में एक-एक शब्द कहेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो हम पांच मिनट में खत्म कर देंगे।

हमको थोड़ी सी परेशानी हुई अपने मित्र चित्त वासु को मुन कर क्योंकि वे हमारे चित्त में बसे हुए हैं। मैं देखता हूँ कि उनका दिमाग डिरेल हो रहा है। उन्होंने कह दिया कि नामा रेजीमेंट बहुत बढ़िया क्योंकि उनके अन्दर सैन्स आफ विलांगिंग पैदा होगा। यह शब्द आज हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। यह शब्द "सैन्स आफ विलांगिंग" इन्होंने कहां से लिया। बम्बई में कांग्रेस (इ) का इजलास हुआ, उसके राजनीतिक प्रस्ताव का 15 वां

मुद्रा मुनिए । हमारे वृजुर्ग के० के० शाह साहब जब अस्पताल में हमको एक दिन देखने गए थे तो हमने कांग्रेस (इ) के वस्वई इजलाम के पीलिटिकल रिजोल्यूशन का मुद्रा 15 पढ़ कर उन को मुना दिया था । मुद्रा क्या है चित्त बसु मुने । मुद्रा यह है कि हम कांग्रेसियों को इन ढंग से काम करना चाहिए कि भारतीय मुसलमानों के मन में सेन्स आफ इन्वाल्वमेंट पैदा हो । कहां गए हमारे डा० भाई महावीर और हमारे मित्र रईस लखनऊ । यह राजनीतिक दल भारतीय मुसलमानों के अन्दर "सेन्स आफ विलांगिंग" जैनेरेट करना चाहता है, भारतीय शासन-प्रशासन के प्रति भारतीय मुसलमानों के मन में सेन्स आफ विलांगिंग जैनेरेट इन्हें करना है जबकि यह तो भारतीयकरण ही कहते हैं । कांग्रेस (इ) अपने रिजोल्यूशन के 15वें कालम में कहता है कि भारत का प्रशासन ढांचा हमारा है—हम नहीं मानते—और हमको मुसलमानों में सेन्स आफ विलांगिंग जैनेरेट करना है...

श्री ओम् मेहता : यह क्या हो रहा है ?

श्री राजनारायण : वही हो रहा है जो होना है । आप देखिये, फिर बोल गये । और आगे क्या लिखते हैं जरा सुनलीजिए । आगे दो शब्द और इस्तेमाल किये गये कि भारत के हरिजनों में, भारत की पिछड़ी जातियों में, भारत के आदिवासियों में और भारत के मुसलमानों में सेन्स आफ पार्टिसिपेशन ऐंड सेन्स आफ विलांगिंग पैदा करना है । तीन शब्दों का इस्तेमाल किया गया—सेन्स आफ इन्वाल्वमेंट भारतीय मुसलमानों में पैदा करना है, सेन्स आफ विलांगिंग और सेन्स आफ पार्टिसिपेशन हरिजनों में, पिछड़ी जातियों में, मुसलमानों में और आदिवासियों में और अन्य अल्प-संख्यकों में पैदा करना है । श्रीमन् आप जोड़िये कि ये हरिजन आदिवासी, पिछड़ी जाति और मुसलमान सब मिल कर 90 फीसदी हो गये या नहीं । अगर भारत वर्ष की 90

फीसदी आबादी में भारत के प्रति सेन्स आफ विलांगिंग नहीं है, सेन्स आफ पार्टिसिपेशन नहीं है तो क्या यह भारत दस फीसदी का है । कांग्रेस वाले और हमारे शब्दों में श्रीमती फीरोज गांधी आज इस भारत को क्या बनाना चाहती हैं । वह कहती हैं कि 90 फीसदी जनता को हमें इस प्रकार बदलना है । उसी शब्द का प्रयोग हमारे चित्त बसु जी ने किया । कहा कि अगर रेजीमेंट हो जायगी तो नागाओं में सेन्स आफ विलांगिंग पैदा होगी, तो फिर मुसलमान रेजीमेंट क्यों न हों ? जब मुसलमानों के अन्दर सेन्स आफ विलांगिंग पैदा करने के लिए चित्त बसु और दूसरे मंत्रिस तैयार हैं तो मैं उन से कहना चाहता हूँ कि भाई चित्त बसु, ये सेन्स आफ विलांगिंग, सेन्स आफ पार्टिसिपेशन और सेन्स आफ इन्वाल्वमेंट बड़े बेहूदा शब्द हैं अगर ये भारतीयों के लिए इस्तेमाल होते हैं या यहां के जवानों के लिए इस्तेमाल होते हैं । अगर संपूर्ण भारतीय जनता के मन में आप कोई भावना भरना चाहें तो भरें लेकिन मुसलमानों को अलग करना चाहे वह भारतीयकरण के नाम पर हो या सेन्स आफ विलांगिंग के नाम पर, मैं समझता हूँ कि यह महा पाप है । और ऐसा कर के देश की एकता को भंग करने में श्रीमती फीरोज गांधी अगुवाई कर रही हैं । इसलिए मैं ने कहा कि नागा शब्द का प्रयोग करने से हरगिज हरगिज सेन्स आफ विलांगिंग पैदा नहीं होगी, देश जरूर दस टुकड़ों में बंट जायगा । इसलिए मैंने अपना संशोधन पेश किया और मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर विचार करे गंभीरता के साथ । जातपात का प्रदर्शन सेना में नहीं होना चाहिए । यह एक गलत चीज है । हमारी एक भारतीय सेना होनी चाहिए, समस्त राष्ट्र की होनी चाहिए, लेकिन अगर उस में राजपूत, सिख, गोरखा आदि जायेंगे तो उस में अपना भाव आता ही है और ऐसा भाव तो हमारे के० के० शाह जी में भी अपने गुजरातियों के लिए आ जाता है । यह देश कितना सड़ गया है इस को देखिये । हमारे उत्तर प्रदेश का, बनारस का रहने

[श्री राजनारायण]

वाला एक डाक्टर था फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन और उस ने जितनी जगह काम किया सब जगह उस के काम को सराहा गया लोगों ने कहा कि उस ने बड़ा अच्छा काम किया। वह गुजरात गया एक इंटरव्यू में, अहमदाबाद और वहां उस से इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या तुम गुजराती जानते हो, उस ने कहा कि गुजराती तो नहीं जानता, लेकिन मैं उसे सात दिन में सीख लूंगा। लेकिन चूंकि वह गुजराती नहीं जानता था इस लिए उस का नाम सर्वप्रथम इंटरव्यू में होते हुए भी उस को नहीं लिया गया, आर० पी० गुप्त शायद उस का नाम है, उस को रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस देश में कहने के लिए बड़े बड़े आदर्शवादी हैं लेकिन व्यवहार में इस देश को सड़ाने के लिए योजना सरकार ने बना रखी है।

4 P.M.

श्री हयातुल्ला अन्सारी (उत्तर प्रदेश) : डिप्टी चैयरमैन साहब, फौज के बारे में जो अभी मेरे दोस्तों ने कहा है, आनरेबिल मेम्बरों ने कि इस के अंदर से डोगरा, सिख वगैरह ये चीजें निकाल दी जायें और सिर्फ भारतीय रहें, एक, दो, तीन नम्बर, तो मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों के दिल में यह बात होगी, लेकिन वह चन्द बातें भूल जाते हैं। वह यह है कि जवानों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, मुझे भी मरना है, लेकिन जब मैं मरूंगा तो मैं चाहूंगा कि मैं मुसलमान की तरह दफन किया जाऊँ। (Interruption) हो सकता है कि राजनारायण जी ऐसा न चाहें।

श्री राजनारायण : मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो मेरी लाश अस्पताल में दे दी जाय और अगर हमारे घर का कोई आदमी मेरी लाश को लेना चाहें तो उस को वह मत दी जाय। आप यह याद रखिये कि अगर हमारा कोई रिश्तेदार या घर का कोई आदमी जाये तो उस को हमारी लाश न दी जाय और जो नियर्रेस्ट अस्पताल हो उस को लाश दे दी जाय और अकबर अली साहब, आप हमारी शहादत में खड़े होंगे . . .

एक माननीय सदस्य : चील कौओं को दे देंगे।

श्री राजनारायण : आप यह लिख लीजिए कि हमारी लाश अस्पताल में दे दी जाय। हिन्दू मुसलमान बन कर हिन्दू मुसलमान का एका मत करो।

श्री हयातुल्ला अन्सारी : जवान जो हैं उन में सब श्री राजनारायण जी की तरह नहीं हैं। वह जान देना जानते हैं मुल्क के लिए, लेकिन साथ यह भी सोचते हैं कि मरते वक्त हमारे पास कौन रहेगा। एक बात। दूसरी बात यह कि कुछ ट्रेडीशन होते हैं। जिस वक्त एक गोरखा जख्मी होता है, जो लड़ रहा होता है तो वह देखता है। उस के चारों तरफ गोरखा होते हैं और वह सोचता है कि अगर हम ने पीठ दिखायी तो कल ही हमारे बेटों को यह बात मालूम हो जायगी। इसलिए वह भाग ने की नहीं मोर्चे पर लड़ते हुए मर जाने की बात सोचता है। तो इस तरह जवानों के दिल में यह अहसास रहता है कि तुम अपने लोगों के बीच में हो, अपने खानदान के लोगों में हो, अपने बेटे पोटों में हो जो एक हजार मील दूर से भी तुम्हारी तरफ निगाह लगाये बैठे हैं और सोच रहे हैं कि तुम कैसे लड़ रहे होंगे और जो सुनेंगे कि तुम कैसे मरोगे। तुम्हारे मरने का ट्रेडीशन वहां तक पहुँचेगा। तो यह ख्याल हमारे यहाँ के है। ये रवायात अंग्रेज कहीं से नहीं लाये थे। उन का तो एक छोटा सा मुल्क था, सब एक तरह के रवायात थे, यह तो उन्होंने यहाँ आ कर सीखा है। यह चीज तो यहाँ डवलप हुई है। जब मराठा आर्मी लड़ी है अल्दाअली के मुकाबले में तो उस में मुसलमानों की फौज आखिर तक लड़ती रही और मराठों की फौज भाग खड़ी हुई। मुसलमानों की फौज को याद रहा कि हम को अपने बेटों को अपने मुँह को दिखाना है। इसी तरह से रानी की शांसी भी लड़ी थी। उस के साथ फौज भी और उस ने पीठ नहीं दिखाई इस लिए कि वे सोचते थे कि हमारे घरवाले क्या सोचेंगे।

यह ट्रेडीशन हमारे यहाँ का है, हर जगह नहीं चल सकता। मैं नहीं कहता कि मुस्लिम आर्मी होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि मुसलमानों का मजहब एक है और इस वजह से असम के मुसलमान अलग हैं, दखिन के मुसलमान अलग हैं, बंगाल के मुसलमान अलग हैं लेकिन फौज में हम को यह ट्रेडीशन रखना चाहिए। अगर कोई हयातुल्ला फौज में लड़ रहा है तो उस को हमेशा दिल में यह ख्याल रहता है कि किसी दिन उस के बेटे को यह न मालूम हो जाय कि उस ने मैदान में दुश्मन को पीठ दिखायी थी। इस बात को सामने रखते हुए आप जवानों को ट्रेडीशन दीजिए, उन को जिन्दगी दीजिए और उन को यह पता होना चाहिए कि वे मरेंगे तो दफन कैसे किये जायेंगे। वे भी अपने लोगों में मरना चाहते हैं इस लिए यह जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि खुदा का नाम रहता है जवानों की जवान पर, लेकिन उस के बाद मां का नाम रहता है। वह चाहेगा कि मरते वक्त अगर उस की जवान से मां का लफ्ज निकले तो उस को पास का जवान समझ ले। मां, महतारी, मदर बड़े प्यारे लफ्ज हैं। इन लफ्जों पर ही जवान की जान निकलती है। उस को इन की कद्र मालूम है। वह इन की डेलीकेसी को समझता है। आप को नहीं मालूम कि वे लफ्ज क्या हैं। आप को मालूम नहीं कि जान देने के मायने क्या होते हैं और वे लोग कौन हैं कि जिन के खून से यह धरती सींची गयी है। उन के अपने ट्रेडीशन हैं और उन पर उन को बड़ा फ़ख्र है। राजपूत हैं और वे जानते हैं कि जो आज मरने वाला है उसका वह ट्रेडीशन उस के सात पुश्तों तक जायगा। उस को अपना वह ट्रेडीशन बाकी रखना होता है, उसे हमें खत्म नहीं करना है। तो उन के रवाबात की एक इज्जत है जिस को कि हमें जिन्दा रखना चाहिए और इस पर किसी तरह का हमला नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसी नुकतेनजर से हम को इस को देखना चाहिए। यही मुझे कहना है।

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra): Sir, I just wanted to draw your attention to this fact that when a discussion of this type takes place, we are really handicapped. You have a small Bill here consisting of two clauses and while discussing this Bill, we are raising some basic issues as to the formulation of Indian Army, Navy, etc. We would like to say something on this. What is happening is that these have no relation whatsoever with the Bill and still people are talking about these. If you want me to discuss these things, please reserve some time. We would also like to say what we have to say. But do not introduce a very major subject by backdoor so that we are really handicapped.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): You are right. But you must sympathise with me.

SHRI NARENDRA SINGH MA-HIDA: Armed forces all over the world have tradition, history, etc.

SHRI N. G. GORAY: Is he going to speak in the same way?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): I will not allow ...

(Interruptions)

SHRI NARENDRA SINGH MA-HIDA: I am not raising any issue. Because the Members questioned, I am replying. But, otherwise (Interruptions) Some points were raised by the hon. Member ... (Interruptions). I am only drawing the attention of the Members because Members would like to be enlightened on the subject. I am not raising any issue. I think traditions are there all over the world, in all history. You know the Russians have the famous name, Cossacks. The hon. Member from West Bengal was saying something. In Bengal also they have such names, for example, Bengal Engineer Groups. I do not want to say further. (Interruptions). During the last War, there were four Divisions. These things are very traditional and I do not want to add anything. I seek the co-operation of all the Members.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : The question is :

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

THE SUPREME COURT (ENHANCEMENT OF VALUATION FOR CIVIL APPELLATE JURISDICTION) BILL, 1969

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI JAGANNATH RAO) : Sir, I beg to move :

"That the Bill to enhance the amount or value of the subject-matter of dispute for purposes of civil appellate jurisdiction of the Supreme Court, and further to amend the Code of Civil Procedure, 1908, be taken into consideration."

Sir, under Article 133, Clause (1), sub-clauses (a) and (b), the pecuniary jurisdiction of the Supreme Court for civil appellate cases is Rs. 20,000. This Bill seeks to raise the pecuniary limit for civil appeals to the Supreme Court from Rs. 20,000/- to Rs. 1.00 lakh. The main reason for moving this Amendment is that the value of any subject-matter has further depreciated since the year 1947 and therefore, it is considered that Rs. 1.00 lakh should be the pecuniary value of any subject-matter for a suit.

Sir, originally it was Rs. 10,000/- under Sections 109 and 110 of the Civil Procedure Code. The same value was maintained when the Federal Court was instituted. At the commencement of the Constitution, the amount of Rs. 10,000/- was raised to Rs. 20,000. Now, it has been found that Rs. 1.00 lakh will be in substance equivalent to Rs. 20,000/-. We have consulted the Law Commission on this subject. The Law Commission felt that it should be increased to Rs. 1.00 lakh. The Supreme Court also holds this view. Sir, this

Bill seeks to enhance the pecuniary jurisdiction, the limit of civil appellate jurisdiction, to Rs. 1.00 lakh. Sir, I move.

The question was proposed.

[THE VICE-CHAIRMAN (SUM BANKA BEHARY DAS) IN THE CHAIR.]

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL

(West Bengal) : Sir, in the Statement of Objects and Reasons it is stated that the Law Commission has pointed out that while in criminal matters the appellate jurisdiction of the Supreme Court under Article 134 of the Constitution is limited, etc., etc. Sir, the Law Commission has made various recommendations. The Law Commission has also dealt with the question of administration of criminal justice. Of all the matters, a small matter, rather a petty matter, has been picked up for amendment of the Civil Procedure Code without taking note of the exacting requirements of the amendments of the Criminal Procedure Code.

Sir, you must have noticed that the trend of public opinion is in favour of diluting the fundamental right with regard to property. Property is proposed to be diluted from all points of view and correspondingly, the value of the fundamental right in the shape of liberty that is going to be. So, I wonder why this government is not keeping pace with the times and is not considering the amendment, suitable amendment of the Criminal Procedure Code, which is medieval in concept and which is retrograde and reactionary from the present point of view.

Shri E. M. S. Namboodiripad recently characterised the courts for not having shed their class character. He was hauled up for contempt of court and the Supreme Court has upheld that. But why did he mention that? I have been a practitioner and I am nearly going to complete the golden jubilee and I am most emphatic that the more I have gained in experience the more I feel that the liberty of the subject is in greater peril in the hands of the police officers and courts than in the hands of the